(435)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

(68)

क्रमांकः—प.3(54)नविवि / 3 / 2011पार्ट जयपुर, दिनांकः 26.11.2012

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर।

विषयः— "प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012" के दौरान नगर पालिका संस्थाओं द्वारा आवंटन/नियमन से संबंधित पट्टा विलेखों के पंजीयन के लिए नगर पालिका अधिकारियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसी की आपको भली—भांति विदित है कि नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिको को भूखण्डों के मौके पर ही पट्टे देने एवं अन्य संबंधित सेवाओं का निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2012 से 25.12.2012 तक "प्रशासन शहरों संग अभियान 2012" आयोजित किया गया है।

मुख्य अभियान के पश्चात् 31.3.2013 तक फोलोअप के लिए कार्य किया जायेगा। अभियान के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 24.11.2012 को आयोजित की गयी समीक्षा विडीयों कॉन्फरिंग के समय जिला कलेक्टर्स द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अभियान में जारी पट्टों का पंजीयन उप पंजीयक के कार्यालय में कराया जाना है पंजीयन विभाग द्वारा नगर निकायों से जारी किये गये पट्टों के पंजीयन हेतु नगरपालिका के संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति भी अनिवार्य की हुयी है। अभियान के दौरान नगरपालिका के अधिकारी अत्यधिक व्यस्त है और यह व्यस्तता दिनांक 31.3.2013 तक रहेगी। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहें अभियान के दौरान पट्टे के पंजीयन का कार्य भी तत्काल ही पूरा होना आवश्यक है ताकि कोई कार्य लम्बित नहीं रहें।

अभियान में कार्य की अधिकता के दृष्टिगत एवं पट्टों के त्वरित पंजीयन के लिए यह आवश्यक है कि नगरपालिका के अधिकारियों को पट्टों के पंजीयन के कम में व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त रखा जावें।

अतः अनुरोध है कि समस्त नगरपालिका अधिकारियों को स्थानीय निकाय द्वारा जारी पट्टा विलेखों के पंजीयन के कम में व्यक्तिगत उपस्थित से मुक्त करने हेतु आवश्यक अधिसूचना / निर्देश जारी करने का श्रम करें।

भवदीय,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप शासन सचिव—द्वितीय

(345)